भाकृअनुप–विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा–263601 (उत्तराखण्ड)
ICAR-Vivekananda Parvatiya Krishi Anusandhan Sansthan, Almora - 263601 (Uttarakhand)
(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद / Indian Council of Agricultural Research)
(कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग / Department of Agricultural Research & Education)
(कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India)

ISO 9001:2015

पत्रांक: 4–84 / 2023–24 / प्रशा0-III / 1731 दिनाँक: 10.07.2024

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान के निष्प्रयोज्य सामग्री (उपकरण एंव फर्नीचर इत्यादि) की नीलामी दिनॉक 19.07.2024 को दिन के 2.00 बजे **संस्थान के अल्मोड़ा स्थित सभा कक्ष** में की जायेगी,सामग्री की बिक्री **"जहॉ है जैसे है"** के आधार पर की जायेगी। विक्रय किए जाने वाली निष्प्रयोजन सामग्री का निरीक्षण संस्थान के अल्मोड़ा / हवालबाग परिसर में किसी भी कार्यदिवस में **प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे** तक किया जा सकता है । **यद्यपि सामग्री की नीलामी अधिकतम बोली लगाने वाले क्रेता के नाम स्वीकृत की जायेगी तथापि सामग्री का निर्धारित न्यूनतम मूल्य प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नीलामी निरस्त भी की जा सकती है।** किसी भी बोली को बिना कारण बताये स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, भाकृअनुप–विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान, अल्मोड़ा के पास सुरक्षित होगा।

प्रभारी अधिकारी (क्रय एवं भण्डार)

नियम एवं शर्तें

1.इच्छुक केता निष्प्रयोजन सामग्री की बोली लगाने हेतु निर्धारित तिथि 18.07.2024 को 12.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में **रू0 10,000.00 (रूपया दस हजार मात्र)** जमानत के रूप में नकद जमा करवाकर अपना पंजीयन करा सकते हैं ।

2.सामग्री की नीलामी में बोली लगाने का अधिकार केवल जमानत राशि जमा करने वाले केताओं को ही होगा ।

3. नीलामी में भाग लेने वाले केताओं को संस्थान के मुख्य प्रवेश स्थल पर स्थित सुरक्षा चौकी पर प्रविष्टि करानी होगी, सुरक्षा चौकी में जॉच के उपरान्त ही किसी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति होगी ।

4.किसी भी प्रकार के हत्यारों के साथ संस्थान में प्रवेश पूर्णतः वर्जित होगा । केवल जमानत राशि जमा करने वाले केता को ही नीलामी में भाग लेने व अन्दर प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी ।

5. बोली स्वीकार होने पर सामग्री की कीमत का **25 प्रतिशत** धनराशि तुरन्त जमा करना होगा तथा शेष धनराशि **75 प्रतिशत** तीन दिन के अर्न्तगत जमा करना अनिवार्य होगा । यदि वो उक्तानुसार धनराशि जमा करने में असमर्थ पाये गये तो उनके द्वारा जमा की गयी जमानत/धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी साथ ही उनकी बोली का दावा भी निरस्त समझा जायेगा ।

6. निष्प्योजन सामग्री की बिक्री है **"जहां है जैसे है"** के आधार पर की जायेगी ।

7. राज्य सरकार द्वारा उक्त सामग्री के विक्रय धनराशि पर लिया जाने वाला टैक्स जी.एस.टी. सामान के मूल्य के साथ केता पार्टी को पृथक रूप से वहन करना होगा, इस सम्बन्ध में संस्थान का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।

8. निष्प्रयोजन सामग्री का निर्धारित न्यूनतम मूल्य प्राप्त होने पर ही सामग्री की विक्री के लिए समिति द्वारा संस्तुति की जायेगी ।

9. अधिकतम दो बोली लगाने वाले की धरोहर राशि रोकने के पश्चात् शेष प्रतिभागियों की धरोहर राशि उन्हें नीलामी के पश्चात् प्रत्यावर्तित कर दी जायेगी ।

10. संस्थान के निदेशक किसी भी बोली को बिना कारण बतलाये स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे ।

11.नीलामी हेतु पंजीकरण फार्म का शुल्क **रू0.100.00 मात्र** निर्धारित किया गया है, जिसे संस्थान के खाते में जमा किया जायेगा।

प्रभारी अधिकारी (क्रय एवं भण्डार)